कार्यालय, चक्रधरपुर नगर परिषद
पश्चिमी सिंहभूम।

पत्रांक............/.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक......................./

बन्दोबस्ती सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत बाटा रोड़, पोस्ट ऑफिस रोड़ एवं कपड़ा पट्टी रोड़ में लगने वाले दैनिक बाजार की साफ–सफाई हेतु महसूल वसूली तथा साईकिल, रिक्शा, रिक्शा ड्राईविंग , बैलगाड़ी एवं ठेला आदि के लाईसेंस, भारत भवन स्थित काँजी हाउस एवं वार्ड न0– 15 स्थित बस पड़ाव की बन्दोवस्ती तथा भारत भवन के पीछे अवस्थित नगर परिषद मैरेज हॉल की बन्दोबस्ती वर्ष 2016–17 के लिए खुली डाक के माध्यम से अध्यक्ष, नगर परिषद, चक्रधरपुर की अध्यक्षता में नगर परिषद कार्यालय परिसर में दिनांक 29 / 03 / 2016 को अपराह्न 1.00 बजे से किया जायेगा ।

इच्छुक व्यक्ति उक्त तिथि व समय को डाक में भाग ले सकते हैं । बन्दोवस्ती में भाग लेने वाले व्यक्ति को सुरक्षित जमा राशि का 25 % राशि जमानत राशि के रूप में दिनांक 29 / 3 / 2016 को 12.00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा। असफल डाक वक्ता को जमानत की राशि वापस कर दी जायेगी तथा उच्चतम डाक वक्ता को सफल घोषित करते हुए जमानत की राशि रख ली जायेगी।

बन्दोवस्ती को स्वीकृत / अस्वीकृत एवं रद्द करने का अधिकार चक्रधरपुर नगर परिषद को सुरक्षित रहेगा। नगर परिषद के पूर्व बकायेदार इस वन्दोवस्ती में भाग नहीं ले सकेंगे।

क्र0 सं0	बन्दोबस्ती की विवरणी	सुरक्षित जमा राशि (रू0)	जमानत राशि (रू0)
1	2	3	4
1.	साईकिल लाईसेंस वसूली हेतु	40,000.00	10,000.00
2.	बैलगाड़ी एवं ठेला गाड़ी लाईसेंस	5,000.00	1,250.00
3.	रिक्शा लाईसेंस	15,000.00	3,750.00
4.	काँजी हाउस बन्दोवस्ती	11,330.00	2,900.00
5.	बाजार महसुल वसूली(कपड़ा पट्टी, बाटा रोड़ एवं पोस्ट ऑफिस रोड़)	2,00,000.00	50,000.00
6.	बस पड़ाव की बन्दोवस्ती	8,00,000.00	2,00,000.00
7.	रिक्शा ड्राईविंग लाईसेंस बन्दोबस्ती	5,000.00	1,250.00
8.	चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र अन्तर्गत लगने वाले ठेला–खोमचा एवं चलंत दुकानदारों से साफ–सफाई मासूल वसूली	1,50,000.00	37,500.00
9	भारत भवन पीछे अवस्थित नगर परिषद मैरेज हॉल की बन्दोबस्ती	1,50,000.00	37,500.00

नियम एवं शर्तें :–

1. यदि बन्दोवस्तधारी निर्धारित समय पर किस्त जमा नहीं करते है तो चक्रधरपुर नगर परिषद को उनके विरूद्ध कार्रवाई करने एवं बन्दोबस्ती रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।
2. वन्दोवस्ती स्थल की साफ–सफाई, रोशनी, पानी एवं सुरक्षा व्यवस्था बन्दोवस्तधारी को स्वंय करना होगा।
3. बन्दोवस्ती अवधि में किसी प्रकार का छुट नहीं दी जायेगी जैसे – दैविक प्रकोप, हड़ताल, बन्दी, व्यापारियों के आवागमन पर होने वाले व्यवधान इत्यादि।
4. बन्दोवस्ती स्थल के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विवाद अथवा दुर्धटना के लिए बन्दोवस्तधारी स्वयं जिम्मेदार होगे।
5. मैरेज हॉल कीं साफ–सफाई, रोशनी, पानी, एवं सुरक्षा व्यवस्था आदि बन्दोबस्तीधारी का होगा।
6. उच्चतम डाक वक्ता की बोली गई राशि का 50 % राशि कार्यदेश निर्गत के पूर्व जमा करना होगा, शेष बची राशि दो किस्तों में जमा करना अनिवार्य होगा।

–ह0–
कार्यपालक पदाधिकारी
चक्रधरपुर नगर परिषद

ज्ञापांक 197 / चक्रधरपुर, दिनांक 19-03-16/

प्रतिलिपि – सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि – उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सादर सूचनार्थ समर्पित
प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट चक्रधरपुर,को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– थाना प्रभारी, चक्रधरपुर थाना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित । अनुरोध है कि किसी अप्रिय घटना के मद्देनजर उक्त तिथि व समय को पुलिस बल उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ।
प्रतिलिपि – अनुमंडल कार्यालय, चक्रधरपुर के सूचना पट्ट / प्रखण्ड कार्यालय, चक्रधरपुर के सूचना पट्ट एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ तथा सभी पूर्व बन्दोवस्तीधारी को सूचनार्थ।
प्रतिलिपि :– सम्पादक – हिन्दूस्तान, दैनिक भास्कर एवं उत्कल मेल को सूचनार्थ एवं उनसे अनुरोध है कि न्यूनतम पठनीय दर पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।
प्रतिलिपि :- मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष चक्र0 नगर परिषद को समर्पित।

19/03
कार्यपालक पदाधिकारी
चक्रधरपुर नगर परिषद